

HPFD-F05/97/2023-FCA

वन विभाग हिमाचल प्रदेश ।।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र० ।

प्रेषित: उप महा निरीक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरीय),
सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, िवालिक खण्ड, लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश-1710001

दिनांक िमला-1

विषय: **Diversion of 3.65 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Dhakyara to Bharni Kms. 0/00 to 6/750, within the jurisdiction of Chamba Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh (Online No. FP/HP/Road/45203/2020)**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर FC/HPB/06/03/2022 दिनांक 22/07/2022 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:-

- 1^प वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 2^प परियोजना के लिए आव यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण के सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 3^प **प्रतिपूरक वनीकरण:**
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी०ए० के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर प्रतिपूरक पौध-रोपण किया जाएगा। इसकी लागत रा ि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेद ि प्रजातियों को लगाया जाएगा। सी०ए० के लिए प्रस्तावित वन भूमि को अंतिम स्वीकृति से पूर्व वन विभाग के नाम किया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण एवं वन मण्डलाधिकारी की अनुपालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

(ग) प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप में जमा करा दी गई है। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

4^प **भुद्ध वर्तमान मूल्य:**

क) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्दे ाओं के अनुसार भुद्ध वर्तमान मूल्य की रा ि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख) भुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।

- 5^प राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ०सी०ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापण पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने इस आदे ा में यह भी स्पष्ट किया है कि ने ानल पार्क तथा वार्डलड लार्डफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह ओद ा लागू नहीं होगा।

- 6^प The Kml file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded on the E-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards liner projects. Undertaking in this regard is attached with the compliance report of UA.
- 7^प The State Government, after receiving the “Final” approval of the Central Government will ensure the settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issue order for diversion. Undertaking in this regard is uploaded with the compliance report of Stage-I approval by the user agency and DFO concern.
- 8^प एफ0आर0ए0 पूर्ण अनुलग्नकों के साथ upload कर लिया गया है।
- 9^प प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जंहा भी सम्भव होगा अधिक स्थानिय प्रजाति के वृक्षों को रोपित किया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 10^प संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नि चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियन साइनेज लगाए जाएंगे। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्धता upload कर ली गई है।
- 11^प प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई की न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 8 Sapling से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की गई है।
- 12^प इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम को लक्षित किया जाएगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्धता upload कर ली गई है।
- 13^प आस पास के क्षेत्र के वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्धता upload कर ली गई है।
- 14^प परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किये गए है।
- 15^प प्रयोक्ता अभिकरण ने सूचित किया है कि इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
- 16^प केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त Lyaout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी बचन बद्धता की प्रति साथ संलग्न है।
- 17^प वन भूमि पर कोई भी श्रमिक िाविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी बचन बद्धता संलग्न है।
- 18^प प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।
- 19^प संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 20^प परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 21^प वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 22^प केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।
- 23^प बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 24^प इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्धता upload कर ली गई है।
- 25^प यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागू होते हो तो उनके अधिन जरूरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।
- 26^प अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।
- 27^प इस सन्दर्भ में प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त बचन बद्धता upload कर ली गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं प्र० मुख्य
अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०